

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

स संख्या :- 289/2024

लछमा देवी बनाम अमर सिंह

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वादिया अधिवक्ता हाजिर। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। वास्ते आदेश दिनांक 22.10.2024 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	
22.10.2024	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।</p> <p>दावा स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।</p> <p>विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	